I/71096/2021

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 71096 /16-1099/1124/2019

लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू- 48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या- 4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर से बढ़ते संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) हेतु निर्धारित 'मानक शुल्क से इतर शुल्क' तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए निर्धारित 'मानक शुल्क' एवं 'मानक शुल्क से इतर शुल्क' को शैक्षिक सत्र 2021-22 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया है।

Digitally signed by आलोक कुमार III
Date:Tue Jun 15 14:50:47 IST 2021
Reason: Approved

(आलोक कुमार)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
7. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति,बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित संस्थानों को अवगत करायें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से, 15.6.21.

(सुनील कुमार चौधरी)

विशेष सचिव

Admission and Fee Regulatory Committee
Government of Uttar Pradesh

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 709 / प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2018
कार्यालय आदेश

903 - APS COLLEGE OF EDUCATION निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय, आपके संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं गयी, जो यह दर्शाता है कि संस्थान को मानक शुल्क स्वीकार्य है। अतएव आपके डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थान हेतु समिति की बैठक दिनांक 26.07.2018 एवं 27.07.2018 की सुनवाई में लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु अनुमन्य।

अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/ सोलह-1-2015-14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-64/ प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	बी०टेक०	55000.00
02	बी०फार्मा०	63300.00
03	बी०आर्क०	57730.00
04	बी०एफ०ए०	85250.00
05	बी०एफ०ए०डी०	85250.00
06	बी०एच०एम०सी०टी०	70000.00
07	एम०बी०ए०	59700.00
08	एम०सी०ए०	55000.00
09	एम०फार्मा०	68750.00
10	एम०आर्क०	57500.00
11	एम०टेक०	57500.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी0फार्मा0 को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः-

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग	30150.00
02	डी०फार्मा०	45000.00
03	डी०आर्की०	30250.00
04	डी०एच०एम०सी०टी०	31300.00

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी० फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी०फार्मा के अतिरिक्त)	रू० 22500.00

> सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू० 19000.00

4. उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, उन्हें अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का आवेदन समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं साथ ही मानक शुल्क के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी, जिससे यह दर्शाता है कि संस्थान को मानक शुल्क स्वीकार्य है। अतएव संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क ही शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु प्रभावी होगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट WWW.AFRCUP2018.IN पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/ सोलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

एफ०आर०खान०
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सम्बंधित जिलाधिकारी।
8. गार्ड फाइल।